न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 83/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. अर्जुनसिंह पिता छगनसिंह राव निवासी सतढुढ़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. गोविन्दसिंह पिता रामसिंह राव
2. छगनसिंह पिता केसरसिंह राव
3. उदयसिंह पिता गेनसिह राव
4. बालुसिंह पिता पन्नेसिंह राव

सर्व निवासी सतढुढियां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956** ::

निर्णय दिनांकः– 04/10/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सतढुढियां पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 664/524 रकबा 0.15 हे0 665/524 रकबा 0.14 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.29 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 7 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सतढुढियां पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 664/524 रकबा 0.15 हे0 665/524 रकबा 0.14 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.29 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो** [illegible] **पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 400/– [illegible] पेश करने के लिए .... रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें [illegible] चार सौ ..../– (अक्षरे चार सौ .... [illegible] राशि 400 को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को [illegible] भु–अभिलेख [illegible] तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 15:55:38 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)